CORRUPTION

ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी के सरकार की याचिका उच्च न्यायालय खारिज की

बी के सरकार

कंपनी के साथ धोखाधडी व फर्जी दस्तावेज बनाकर लोकधन हडपने के मामले में जिला न्यायालय में विचाराधीन सेशन ट्रायल को खत्म करने से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंकार किया।

डॉ व्ही एन भार्गव

इन्दौर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ ने ओरिएण्टल बीमा कंपनी के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ,जनरल मेनेजर बी के सरकार एवं मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व सहा महा प्रबन्धक डॉ व्ही एन भार्गव एवं होटल कंचन तिलक के मेनेजर तेजिन्दर सिंह की उस याचिका को निरस्त कर दी जिसमें उन्होंने इन्दौर की जिला न्यायालय में सेशन प्रकरण को निरस्त करने की मांग की थी। इन्दौर के जिला अदालत ने याचिकाकर्ता बी के सरकार, डॉ व्ही एन भार्गव, डॉ आर के पुरी एवं होटल कंचन तिलक के प्रबन्धक तेजीन्दर सिंह ने आपस में एक षडयंत्र के तहत ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी के साथ बेईमानीपूर्वक धोखाधडी की व इसके लिये फर्जी दस्तावेजों बिलों को प्राप्त कर फर्जी व कूटरचित वाउचर तैयार कर लोकधन हडपने के लिये एक आपराधिक मामला पंजीबद्व किया था।

इन सभी आरोपीगण ने जिला न्यायालय के आदेश के जिसमें उनके विरूद्व आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व हुआ उस आदेश को तथा सेशन न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को समाप्त करने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस प्रकरण में इस प्रकरण में जाने माने अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा जिसमें वरिष्ठ अधिक्ता एस सी बागडीया, अजय बागडिया, रविन्द्रसिंह छाबडा, विजय आसुदानी सहित अनेक अधिवक्ता शामिल थे।

इस प्रकरणकी सुनवाई न्यायमूर्ति माननीय जे के माहेश्वरी ने की । उच्च न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई लगभग ढाई घंटे चली जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविन्द्रसिंह छाबडा व अधिवक्ता विजय आसुदानी ने आपराधिक प्रकरण को खत्म करने के लिये जो तर्क दिये उससे न्यायमूर्ति संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने प्रकरण के विभिन्न दस्तावेजों को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पढकर सुनाने को कहाँ और इन ही दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता ने कंपनी के धोखाधडी व फर्जी दस्तावेजों को बनाकर उसका उयपोग असल दस्तावेज के रूप में कर लोकधन का आहरण किये जाने का मामला प्रथम दृष्टाया बना है। यदि याचिका को वापस नहीं लेते हो या प्रकरण का निराकरण मेरीट के आधार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रकरण को मेरिट पर निराकृत नहीं किये जाने का निवेदन किया और याचिका वापस ले ली। इस प्रकरण में सेन्सर टाइम्स के संपादक रवि कुमार पोत्दार जिन्होंने स्वयं इस प्रकरण को जिला न्यायालय में कंपनी व समाज के व्यापक हित में प्रायवेट कंपलेंट प्रस्तुत की थी तथा याचिकाओं में रेसपाडेन्ट थे किसी भी अधिवक्ता अपनी और से नियुक्त नहीं कर प्रकरण के पैरवी स्वयं कर अपने तर्क प्रस्तुत किये। इस प्रकरण में रवि कुमार ने सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को को गुमराह व धोखे में रखकर स्टे प्राप्त किया है। चूकि याचिका वापस ली गई थी इस कारण इस आवेदन का निराकरण नहीं हुआ।

मामला क्या है

वर्ष 2000 में कंपनी के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक बी. के. सरकान, प्रबन्धक डॉ व्ही एन भार्गव एवं प्रबन्धक ने होटल कंचन तिलक में दिनांक-11-11-2000 को एजेन्टों की ट्रेनिंग बताकर होटल के प्रबन्धक तेजिन्दर सिंह के साथ मिलकर बीमा कंपनी के साथ एक षडयंत्र कर धोखाधडी कर लोकधन हडपने की नियत से तीन फर्जी होटल बीलों को प्राप्त किया यह बील बात के थे कि दिनांक-11-11-2000 को बीमा कंपनी के इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय ने एजेन्ट के प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें 136 एजेन्ट के भोजन व चाय पर हुए व्यय का उल्लेख था इन बीलों के आधार पर तीन फर्जी भुगतान वाउचरों को बनाकर उसे पास कर चेक से होटल कंचन तिलक को अवैधानिक रुप से भुगतान कर इस धनराशी को आपस में मिलकर हडप लिया।

इस फर्जी घटना की जानकारी सेन्सर टाइम्स को लगने पर उसने सूचना के अधिकार के तहत इन्दौर कंपनी के कार्यालय से यह जानकारी चाही कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कौन कौन से स्थानों पर एजेन्ट के प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। आवेदन पत्र के जवाब में इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक ने गुमराह करने वाली जानकारी दी.

सूचना के अधिकार के तहत सही जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील की। नई दिल्ली के अपीलीय अधिकारी एस के चानना इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय को जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया. जिस में यह जाकारी प्राप्त हुई कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में किसी भी प्रकार की एजेन्टो की ट्रेनिग का आयोजन नहीं हुआ। जवाब से संतुष्ट नहीं हाने पर द्वितिय अपील नई-दिल्ली स्थित केन्द्रीय सूचना आयोग में की जिसमें कंपनी की और से अनेक अधिकारीयों के साथ आरोपी मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए व उन्होंने भी केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष इसी बात को दोहराया कि कंपनी ने किसी प्रकार की एजेन्टो की ट्रेनिग का आयोजन नहीं किया। रवि कुमार ने शपथ पत्र पर इस बात की मांग करने पर सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी ने यह कहाँ कि वह स्वयं एक ज्यूडिशीयली अथोंरिटी है तथा उनके समक्ष जब कंपनी के जिम्मेदार अधिकारीयों ने यह स्वीकार कर लिया है कि किसी भी प्रकार से एजेन्ट ट्रेनिग का आयोजन नहीं हुआ है तो इस मामले में शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.

इस संबध में जनहित में तथा प्रायोजित आर्थिक घोटालों को करने वाले बी.के.सरकार, सहा महाप्रबन्धक डॉ व्ही. एन. भार्गव एवं पूर्व मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक डॉ आर के पुरी एवं होटल कंचन तिलक के प्रबन्धक/संचालक के विरुद्व एक फौजदारी प्रकरण वर्ष 2009 न्यायालय में भारतीय दंड विधान की धारा-409,420,467,468,471 एवं 120-बी के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया कि कंपनी के अधिकारीयों ने फर्जी दस्तावेजों को बनाकर कंपनी के साथ बेईमानीपूर्वक छल किया और एक आपराधिक षडयंत्र कर लोकधन को हडपा तथा अपने आपराधिक कृत्य को छिपाने की नियत से दस्तावेजों में कूटरचना की है जिस पर न्यायालय ने इस मामले की न्यायीक जाँच कर कंपनी के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी के सरकार एवं मुम्बई के पूर्व सहा महा प्रबन्धक डॉ व्ही एन भार्गव तथा इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक डॉ आर के पुरी व होटल कंचन तिलक के प्रबन्धक तेजिन्दरसिंह पर आपराधिक मुकदमा पंजीबद्व कर सभी आरोपीगण के विरूद्व गिरफ्तारी वारंट जारी किया था ।

इस प्रकरण में इन सभी आरोपीगण को अपराध की सजा मिलने की पुरी संभावना है क्योंकि प्रकरण पूरी तरह दस्तावेजी प्रमाण पर आधारीत है.। इस प्रकरण में कई अन्य आरोपीगण भी है जिन्होंने भी कंपनी के साथ धोखाधडी कर लोकधन हडपा है। इस प्रकरण में एक आरोपी डॉ आर के पुरी की मृत्यु हो चुकी है।

मामला ओरिएण्टल बीमा कंपनी का

पटना के क्षेत्रीय प्रबन्धक मनोज वर्मा एल टी एस के मामले में फंसे

समस्त सरकारी कार्यालयों की तरह बीमा कंपनी भी कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों को एलटीएस की सुविधा देती है जिसमें कंपनी में पदस्थ अधिकारी या कर्मचारी अपने परिवार सहित भारत में कही भी 4000 किलोमीटर तक मनचाहे स्थान पर यात्रा कर सकते है। कंपनी के नियमानुसार एलटीएस पर जाने के लिये वह तीन माह पूर्व 90 प्रतिशत अग्रीम धनराशी ले सकता है। यह धनराशी पब्लिक मनी है इस कारण यदि कोई लोकसेवक इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके विरूद्व विभागीय जाँच के साथ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही किये जाने के निर्देश भारत सरकार ने जारी किये है। हाल ही में एक मामला जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक मनोज वर्मा का आया है जिसमें इस वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर बीमा कंपनी के साथ धोखाधडी की और उन्होंने एलटीसी एडवांस लेकर उसका उपयोग निजि निजि हित में किया।

इस मामले में एक शिकायत एक विसिल ब्लोअर ने भारत के केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को भेजी गई थी जिसमें यह उल्लेख किया था कि पटना क्षेत्रीय कार्यालय में ओरिएण्टल बीमा कंपनी में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर पदस्थ मनोज वर्मा ने दिनांक-05-12-2014 को रूपये-2,35,000 का एलटीएस जाने के लिये एडवांस की धनराशी को जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लिया। जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के एक अधिकारी आर के जग्गा ने इसे स्वीकृत किया ।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि मनोज वर्मा ने अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर इस धनराशी का निजि हित में उपयोग किया और वे एलटीएस यात्रा पर नहीं गये। इस बीच उनका स्थानान्तर क्षेत्रीय कार्यालय पटना हो गया। एलटीएस एडवास लिये जाने के बाद भी वे एलटीएस पर नहीं गये जिसकी शिकायत होने पर उन्होंने दिनांक-31-03-2017 को रूपये-2,35,000 की धनराशी को उन्होंने 2 साल 4 माह 3 सप्ताह अर्थात 847 दिन पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय-पटना में इस एलटीएस की धनराशी को जमा करा दिया। यह बात समझ से परे है कि इतने दिनों तक जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के एकाउंट आफिसर, स्टेचुटरी आडिटर ने इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। क्षेत्रीय कार्यालय के ट्रायल बैलेंस में भी धनराशी को आउटस्टेडीग बताया होगा। इस मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय के इंचार्ज को इसकी पडताल कर सभी सबंधितों पर कार्यवाही करनी थी क्योंकि वे कंपनी से इसी बात का वेतन पाते है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर क्या मनोज वर्मा को इस मामले में बचाया ईमानदारी का नाटक करना ही नहीं उन्हें ईमानदार होना भी चाहिये ।

इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को लिखित शिकायत की गई तो उन्होंने इसकी जाँच के लिये कंपनी के मुख्य सर्तकता अधिकारी को विसिल ब्लोअर शिकायत भेजकर जाँच कर उनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। इस मामले में कंपनी के सीडीए नियमानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक मनोज वर्मा पर टेम्परेरी मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ पब्लिक मनी कार्यवाही होनी है जिसमें वर्मा मुश्किल में फंस सकते है क्योंकि सारा मामला दस्तावेजी प्रमाण पर आधारीत है। इस मामले में कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी का नैतिक दायित्व है कि कंपनी के लोकधन का अस्थाई रूप से दुर्विनियोग (मिसएप्रोप्रियेशन) करने वाले क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्व विभागीय जाँच के साथ साथ आपराधिक प्रकरण भी पुलिस में भी दिया जाना चाहिये क्योंकि शिकायत के बाद धनराशी को कंपनी के खाते में जमा करया गया।